

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत अमरपुरा... दिनांक 3.10.25

30

30

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/30

दिनांक:-3/10/2025

प्रेषित,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अपराज पिता/पति श्री सेवा रेणु निवासी कोटली पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम कोटली में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 31.5 में अपराज पिता/पति श्री सेवा रेणु जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम अपराज, पिता/पति श्री सेवा रेणु दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम अपराज पिता/पति श्री सेवा रेणु का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
बरसी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/758

दिनांक:-6/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री अपराज पिता/पति श्री सेवा रेणु राजस्व कोटली पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 31.5 में जाति/नाम अपराज पिता/पति सेवा रेणु दर्ज हैं। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशांषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अपराज पिता/पति श्री सेवा रेणु की जाति/नाम अपराज पिता/पति श्री सेवा रेणु एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एन.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री जमराज पिता/पति श्री सेवा देवा

बनाम

राज्य सरकार अरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपर्युक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा निवास कोटडी का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम कोटडी में खाता संख्या 319 किता 24 रकबा 5-65 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा के बजाय जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक /10/2025

जमराज देवा
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा निवासी कोटडी के राजस्व ग्राम कोटडी पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 319 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में जमराज देवा पिता/पति श्री सेवा देवा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हरताक्षर पटवारी

पटवार मण्डल कोटडी.....
तह. बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

जमराज देवा
हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर

03.10.25